

**गैर-विभेदकारी वक्तव्य :** इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि आपको लगे कि आपके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है तो क्या करें। संघीय कानून तथा स.रा. कृषि विभाग (USDA) की नीतियों के अनुसार इस विभाग को जाति, रंग, राष्ट्रीय उदगम, लिंग, आयु या अयोग्यता के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है। भेदभाव के बारे में कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए **USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW Washington DC 20250-9410** को लिखें या (800) 795-3272 पर (वायस) और (202) 720-6382 (TTY) पर फोन करें। USDA एक समान अवसर प्रदाता और नियोक्ता है।

**परिवर्तनों की सूचना देना :** आवेदन के समय आपको जो हितलाभ अनुमोदित किए जाते हैं, वे पूरे स्कूल वर्ष के लिए होते हैं। यदि आपकी आय में वृद्धि हो जाए या परिवार का आकार छोटा हो जाए अथवा आपको फूड स्टैप मिलना बंद हो जाए तो आपको इन परिवर्तनों की सूचना देने की जरूरत नहीं है।

**पुनः आवेदन :** इन हितलाभों के लिए आप स्कूल वर्ष के दौरान कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप इस समय पात्र नहीं हैं लेकिन स्कूल वर्ष के दौरान बेरोजगार हो जाते हैं, परिवार की आय में कमी हो जाती है या परिवार के आकार में वृद्धि हो जाती है तो आप उस समय अनुरोध कर सकते हैं और आवेदनपत्र भर कर जमा कर सकते हैं। जब आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होगा तो आपको सूचना दी जाएगी।

**गोपनीयता :** स.रा. कृषि विभाग ने विद्यार्थियों के नामों एवं पात्रता की स्थिति की निर्मुक्त बिना अभिभावक/संरक्षक की सहमति के प्रशासन या संघीय कार्यक्रमों के प्रवर्तन से सीधे जुड़े व्यक्तियों जैसे टाइटिल 1 एवं शिक्षा प्रगति के राष्ट्रीय मूल्यांकन (NAEP) को करने का अनुमोदन किया है जो सं.रा. शिक्षा विभाग (DOE) के कार्यक्रम हैं तथा जो स्कूलों को निधियों के आबंटन के क्षेत्र, स्कूल में उपस्थित विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन और शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। सूचनाएं राज्य एजेंसी या स्थानीय शिक्षा एजेंसी से प्रशासित राज्य स्वास्थ्य या राज्य शिक्षा कार्यक्रमों को भी जारी की जा सकती हैं, बशर्तें राज्य या स्थानीय शिक्षा एजेंसी, राष्ट्रीय स्कूल लंच कार्यक्रम [National School Lunch Program] जैसे कार्यक्रम का तथा संघीय राज्य या स्थानीय पोषण कार्यक्रमों का प्रशासन करता है। इसके अलावा, मुफ्त या रियायती दर पर भोजन के आवेदनपत्र में निहित *सभी* सूचनाएं ऐसे व्यक्तियों को भी जारी की जा सकती हैं जो राष्ट्रीय स्कूल लंच अधिनियम (NSLA), या बाल पोषण अधिनियम [Child Nutrition Act] (CNA) के अधीन प्राधिकृत कार्यक्रमों के प्रशासन या प्रवर्तन से सीधे जुड़े हैं जैसे राष्ट्रीय स्कूल लंच एवं स्कूल नाश्ता कार्यक्रम, विशेष दूध कार्यक्रम, बाल एवं वयस्क परिचर्या खाद्य कार्यक्रम, महिलाओं, शिशुओं एवं बच्चों के लिए विशेष पूरक पोषाहार कार्यक्रम (WIC)। लेखा परीक्षा के प्रयोजन से ये सूचनाएं स.रा. के कॉन्ट्रोलर जनरल को तथा NSLA या CNA के अधीन कार्यक्रमों के कथित उल्लंघन की जांच कर रहे संघीय, राज्य या स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भी जारी की जा सकती हैं। पात्रता की ऐसी सूचनाओं के प्रकटन के लिए जो NSLA द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत नहीं हैं, उनके लिए अभिभावक/संरक्षक के लिखित सहमति वक्तव्य की जरूरत होती है। जब आपका आवेदनपत्र स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा तो आपको सूचित किया जाएगा।

2006-2007 विद्यार्थियों के भोजन एवं दूध के मूल्य			
	नाश्ता	लंच	दूध
रियायती मूल्य		\$ 0.25	\$ 0.25
कुल मूल्य	\$ 0.00	\$ 1.50	

रियायती मूल्य पर भोजन के लिए आय संबंधी पात्रता के दिशानिर्देश**					
परिवार में सदस्यों की संख्या	वार्षिक आय इससे अधिक न हो	मासिक आय इससे अधिक न हो	महीने में दो बार इससे अधिक आय न हो	प्रत्येक दो सप्ताह में आय इससे अधिक न हो	साप्ताहिक आय इससे अधिक न हो
1	\$ 18,130	\$ 1,511	\$ 756	\$ 698	\$ 349
2	24,420	2,035	1,018	940	470
3	30,710	2,560	1,280	1,182	591
4	37,000	3,084	1,542	1,424	712
5	43,290	3,608	1,804	1,665	833
6	49,580	4,132	2,066	1,907	954
7	55,870	4,656	2,328	2,149	1,075
8	62,160	5,180	2,590	2,391	1,196
<b>परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए जोड़ें :</b>					
+	\$ 6,290	\$ 525	\$ 263	\$ 242	\$ 121

सूचित की जाने वाली आय	
कटौती से पूर्व कार्य से आय। इसमें सभी काम शामिल हैं।	मजदूरी, वेतन, बख्शीश, कमीशन, अपने निजी व्यवसाय या खेत से शुद्ध आय, हड़ताल के हितलाभ, बेरोजगारी क्षतिपूर्ति एवं कामगार क्षतिपूर्ति।
पेंशन/सेवानिवृत्ति/सामाजिक सुरक्षा	पेंशन, सेवानिवृत्ति आय, सामाजिक सुरक्षा, अनुपूरक सुरक्षा आय एवं भूतपूर्व सैनिकों के भुगतान
कोई अन्य आय	किराए से शुद्ध आय, वार्षिकी, अयोग्यता हितलाभ, ब्याज, लाभांश आय, बचत खातों से निकाली गयी नकदी, संपत्ति, ट्रस्टों और/या निवेश से आय, ऐसे व्यक्तियों से नियमित अंशदान जो परिवार में न रहते हों और ऐसा कोई धन जो बच्चों के भोजन के लिए अदा करने के लिए उपलब्ध हो सके।

\*\* मुफ्त भोजन के लिए आय दिशानिर्देश चार्ट, अनुरोध करने पर स्कूल कार्यालय में उपलब्ध है

परिवार के लोग इस लाइन के नीचे न लिखें – केवल स्कूल के प्रयोग हेतु

**HOUSEHOLDS DO NOT WRITE BELOW THIS LINE – FOR SCHOOL USE ONLY**

ANNUAL INCOME CONVERSION RECOMMENDED (ONLY CONVERT WHEN MULTIPLE FREQUENCIES ARE REPORTED ON APPLICATION)  
WEEKLY MULTIPLY BY 52; EVERY TWO WEEKS MULTIPLY BY 26; TWICE A MONTH MULTIPLY BY 24; MONTHLY MULTIPLY BY 12

FOOD STAMP, TANF or Foster Child (Circle One)

INCOME HOUSEHOLD: Total Household Income/Frequency: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Household Size: \_\_\_\_\_

Application APPROVED for:  FREE MEALS  REDUCED PRICE MEALS

Temporary Free (expires in 45 calendar days). Indicate each renewal date:

1. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Application DENIED. Date Notification Letter Sent: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Reason for Denial:  Income Too High  Incomplete Application

I certify that all information reported on this form is true and the eligibility determination made is based on the information provided by the household. I understand that school officials may verify the information and the procedures for certifying this application and that deliberate misrepresentation of the information may subject me to prosecution under applicable State and Federal laws, and the school may lose meal and monetary benefits. I understand that the school principal has the ultimate responsibility for all forms filed by the household and certified at the school and at any given time may review forms for accuracy and integrity and monitor the procedures used for certification.

Signature of Reviewing Official: \_\_\_\_\_

Date Certified: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**HEALTH INSURANCE – (HOUSEHOLDS DO NOT REMOVE)**

SCHOOLS OFFICIAL - PLEASE RETURN THIS PORTION TO: THE OFFICE OF SCHOOL HEALTH 52 CHAMBERS STREET, ROOM 218, NEW YORK, NY 11007

SCHOOL NAME / NUMBER \_\_\_\_\_

BOROUGH (CIRCLE ONE) MN BX BK QU SI

प्रिय अभिभावक या संरक्षक :

स्कूल वर्ष 2006- 2007

सीखने के लिए बच्चों को पौष्टिक भोजन चाहिए। स्कूल खाद्य कार्यालय [The Office of School Food] प्रत्येक स्कूल दिवस को पौष्टिक भोजन पेश करता है। नाप्ता सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क दिया जाता है जबकि लंच की कीमत \$1.50 है। संघीय आय दिशानिर्देशों [Federal Income Guidelines] (पिछले पृष्ठ पर दिया गया है) को पूरा करने वाले घरों के बच्चे मुफ्त भोजन या रियायती दर पर भोजन के पात्र हैं। रियायती दर पर भोजन की कीमत लंच के लिए प्रति पात्र विद्यार्थी \$0.25 है। मुफ्त भोजन या रियायती दर पर भोजन के लिए आवेदन करने के लिए NYS अस्थायी या अयोग्यता सहायता कार्यालय से प्रत्यक्ष प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें या संलग्न आवेदनपत्र को भरें, इस पर हस्ताक्षर करें, और यथापीछ अपने बच्चे के स्कूल को वापस कर दें। आवेदनपत्र भरते समय कृपया इस पत्र में दिए गए दिशानिर्देशों को पढ़ लें। हम अपूर्ण आवेदनों को अनुमोदित नहीं कर सकते, अतः सभी वांछित सूचनाएं भरना सुनिश्चित करें।

**निम्नलिखित सूचनाएं आपकी सहायता करेंगी :**

1. क्या मुझे प्रत्येक बच्चे के लिए एक आवेदनपत्र भरने की जरूरत ?  
जी नहीं। मुफ्त या रियायती दर पर भोजन के लिए आवेदनपत्र को पूरा करें। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले एक ही घर के सभी बच्चों के लिए केवल एक आवेदनपत्र भरें।
2. मुफ्त भोजन किसे मिल सकता है?  
घर के ऐसे बच्चे जिन्हें फूड स्टैंप या TANF मिल रहा है और अधिकांश पोष्य बच्चे मुफ्त भोजन प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आपकी आय कुछ भी हो। यदि आपकी पारिवारिक आय संघीय आय दिशा-निर्देशों के अनुसार मुफ्त सीमा के अंदर है तो आपके बच्चे भोजन मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पोष्य बच्चे के लिए एक अलग आवेदन-पत्र भाग 2 सहित भरा जाना चाहिए और उस पर किसी वयस्क के हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. क्या बेघर, घर से भागे, और प्रवासी बच्चे मुफ्त भोजन प्राप्त कर सकते हैं?  
यदि आपको यह सूचित नहीं किया गया है कि उन्हें मुफ्त भोजन मिलेगा तो कृपया अपने स्कूल या अस्थायी आवास में बच्चों के समन्वयक [Coordinator of Students in Temporary Housing] से यह जानने के लिए संपर्क करें कि क्या आपका बच्चा (बच्चे) इसके लिए पात्र हैं।
4. रियायती दर पर किसे भोजन मिल सकता है?  
यदि आपकी पारिवारिक आय इस आवेदन-पत्र में दर्शाए अनुसार संघीय आय चार्ट [Federal Income Chart] में उल्लिखित रियायती दर सीमा के अंदर है तो आपका बच्चा (बच्चे) रियायती दर पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं।
5. यदि मुझे स्कूल से यह पत्र प्राप्त होता है कि मेरे बच्चे मुफ्त या रियायती दर पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं तो क्या मुझे आवेदन-पत्र भरना चाहिए? कृपया प्राप्त पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अनुदेशों का पालन करें। यदि आपको कुछ पूछना हो, तो अपने बच्चे (बच्चों) के स्कूल में टेलिफोन करें।
6. मुझे WIC मिलता है, क्या मेरा बच्चा (बच्चे) मुफ्त भोजन प्राप्त कर सकते हैं?  
WIC में भाग लेने वाले पारिवारिक बच्चे मुफ्त या रियायती दर पर भोजन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कृपया आवेदन-पत्र भरें।
7. क्या मेरे द्वारा दी गई सूचना की जांच की जाएगी?  
स्कूल वर्ष के दौरान स्कूल कभी भी आपसे आपकी पात्रता का सत्यापन कराने के लिए कह सकता है। यदि आपका सत्यापन के लिए चयन हो जाता है तो आपको लिखित में अधिसूचित किया जाएगा। स्कूल के कर्मचारी आपसे ऐसे कागजात भेजने के लिए कह सकते हैं जिनसे यह पता चलता हो कि आपके बच्चे को आपके द्वारा दिए गए आवेदनपत्र के समय मुफ्त या रियायती दर पर भोजन मिलना चाहिए।
8. यदि मैं अब अयोग्य होता हूँ तो क्या मैं बाद में आवेदन कर सकता हूँ?  
जी हाँ। स्कूल वर्ष के दौरान आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं यदि आपका परिवार बढ़ जाता है, आपकी आय कम हो जाती है या आपको फूड स्टैंप, TANF या अन्य लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आपकी नौकरी छूट जाती है तो आपके बच्चे मुफ्त या रियायती दर पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं।
9. यदि मेरे आवेदनपत्र पर स्कूल द्वारा लिए गए निर्णय से मैं सहमत न होऊँ तो क्या होगा?  
आपको स्कूल के कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। आप Chief Executive, Office of School Support Services, 44-36 Vernon Blvd., Long Island City, New York 11101, (718) 707-4300 से फोन पर या लिखित में सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
10. यदि मेरे परिवार में कोई अमेरिकी नागरिक न हो तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?  
जी हाँ। मुफ्त या रियायती दर पर भोजन प्राप्त करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप या आपका बच्चा (बच्चे) अमेरिकी नागरिक हों।
11. अपने परिवार में मुझे किन्हें सदस्यों के रूप में शामिल करना चाहिए?  
आपको अपने परिवार में रहने वाले सभी लोगों को शामिल करना चाहिए, चाहे वे भाग 4 से संबंधित हों अथवा नहीं (जैसे दादा-दादी, अन्य रिश्तेदार या मित्र)। आपको स्वयं और आपके साथ रहने वाले अन्य सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए।
12. यदि मेरी आय हमेशा एक-समान न रहे तो क्या होगा?  
उस धनराशि की सूची बनाएं जो आप सामान्यतः प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप प्रति माह 1000 डॉलर प्राप्त करते हैं, लेकिन आप पिछले महीने कुछ काम नहीं कर पाए और आपको प्रति माह 1000 डॉलर के स्थान पर केवल 900 डॉलर ही मिले। यदि आपको सामान्यतः समयोपरि भत्ता मिलता है तो इसे शामिल करें लेकिन यदि कभी-कभार मिलता है तो उसे शामिल न करें।

स्कूल जिला आपसे स्कूल वर्ष के दौरान किसी भी समय आवेदन में दी गई सूचना का सत्यापन करने के लिए कह सकता है। यदि आप यह सूचना नहीं देते हैं तो आपके बच्चे को मुफ्त या रियायती दर पर भोजन प्राप्त नहीं होगा। स्कूल के कर्मचारी आवेदनपत्र में दी गई सूचना का प्रयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि क्या आपके बच्चे को मुफ्त या रियायती दर पर भोजन मिलना चाहिए। मुफ्त और रियायती दर के आंकड़ों का प्रयोग षीषक-1 और राष्ट्रीय शिक्षा प्रगति मूल्यांकन के लिए किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय स्कूल लंच कार्यक्रम [National School Lunch Program] की अधिकृत एजेंसियों के साथ बांटा जाएगा।

संघीय विनियमों में यह प्रावधान है कि स्कूल और संस्थान उन बच्चों को अतिरिक्त मूल्य पर भोजन न दें, जिनकी अशक्तता उनके आहार को इस तरह से सीमित करती है कि वे दिए जाने वाले भोजन या निर्धारित व्यंजन-सूची में कुछ संशोधन किए बिना खाद्य सेवा कार्यक्रम में पूरी तरह भाग नहीं ले सकते। आपको स्कूल से विशेष भोजन के लिए अनुरोध करना चाहिए और चिकित्सक से एक चिकित्सा-प्रमाणपत्र स्कूल को देना चाहिए। यदि आप समझते हैं कि आपके बच्चे को अशक्तता के कारण प्रतिस्थापन की जरूरत है तो आप मुख्य कार्यपालक, स्कूल सहायता सेवा कार्यालय [Chief Executive, Office of School Support Services] से संपर्क करें क्योंकि यह विषिष्ट निर्देश है कि चिकित्सा प्रमाणपत्र अवश्य लगाया जाना चाहिए।

आपका बच्चा चाइल्ड हैल्थ प्लस नामक एक कार्यक्रम के जरिए मुफ्त या रियायती दर पर स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने का पात्र हो सकता है। चाइल्ड हैल्थ प्लस बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल और दंत चिकित्सा का भुगतान करता है और यह 19 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उपलब्ध होता है, भले ही उनके परिवार की आय या उनकी प्रवासी स्थिति कुछ भी हो - यहां तक कि भले ही वे प्रलेखित न भी हों। कृपया भाग 6 भरें और यदि आप इन लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपसे संपर्क किया जाएगा।

यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं या इस आवेदनपत्र को भरने में मदद चाहते हैं तो कृपया सहायता के लिए अपने बच्चे के स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क करें।

आपका,

जोएल आई. क्लेइन  
कुलाधिपति

**New York City Department of Education**  
**2006-2007 Application for Free and Reduced-Price Meals/Milk**

Use black ink, print neatly, complete one application for all children attending the same school. Return application to your child's school. Date Withheld: \_\_\_\_\_

F  R  D

**HOUSEHOLDS WITH A FOSTER CHILD:** If this application is for a foster child, check here  AND list the child's monthly personal use income. Write "0" if the child has no personal use income. \$ \_\_\_\_\_ Complete part 2 then skip to part 5.

**LIST ALL CHILDREN ATTENDING THIS SCHOOL LIVING IN HOUSEHOLD**

*Birthdate M M O O Y Y	Print Legal Name of Students Attending This School (* Optional Information) First Name MI Last Name	*Gender	*Grade	*OSIS #
03/03/93	JOHN S BRANCH	M	07	010111211
10/15/94	SUE A BRANCH	F	06	111223456
08/27/95	THOMAS T BRANCH	M	05	
11/05/95	AMY I LEAF	F	05	

School Name: **PS 1**  
 School #: **001**  
 Indicate Borough:  M  X  Q  R  S  
 List the current Food Stamp case number or TANF/FDPIR number from your benefit label. Complete a separate application for children with a different case number or no case number.  
 FOOD STAMP Case # (See Instructions) \_\_\_\_\_  
 TANF/FDPIR Case # \_\_\_\_\_

**List all adults and other children living in the household**

**List all Current Income and Pay Period**

Current income is your income at the present time before taxes and other deductions. Write how much money each household member receives from each source and use the following letters to indicate how often. W = Weekly; E = Every 2 weeks; M = Monthly; T = Twice a month; Y = Yearly. If pay period is not noted, the reviewing official will process reported income as WEEKLY.

Name	Gross Earnings from Work (Before Deductions: ALL JOBS) How Often?	Child Support/Alimony Payments How Often?	Pay from Pensions, Retirement / Social Security How Often?	Any Other Income How Often?
Joe Branch	\$ 2550.45 / Y	\$ /	\$ /	\$ /
Mary Branch	\$ 275.30 / W	\$ /	\$ /	\$ /
Sally Leaf	\$ 400.00 / T	\$ 300.15 / E	\$ /	\$ /
Bill Leaf	\$ 0 /	\$ 0 /	\$ 0 /	\$ 0 /
Jill Leaf	\$ /	\$ /	\$ 400.75 / M	\$ /

TOTAL HOUSEHOLD MEMBERS. Add the names listed in Parts 2 and 4 (enter 1 if Foster Child) **09**

Signature of adult household member completing this form

*Joe A. Branch*

Printed name of adult household member completing this form  
**JOE A. BRANCH**

Today's Date **09/07/06**

Adult Household Member Social Security # **123-45-6789**

Address **100 Name Street** Apt # \_\_\_\_\_ City **Bronx** NY **10461** Zip

If you do not have a Social Security Number you must write the word "NONE"  
 Home Phone **718-555-4567**  
 Daytime Phone **212-555-1234**  
 Cell Phone \_\_\_\_\_

HEALTH INSURANCE: Does your child(ren) have: Medicaid  Child Health Plus  Health insurance through your employer  No insurance  If no, would you like a health insurance counselor to contact you?  YES  NO Free or low cost health insurance is available to all children through NYS's Child Health Plus Program regardless of immigration status. For more information, call 511. Print your name: **Sally Leaf** and indicate the best time to call: **7:00 AM**

**इस आवेदन को कैसे भरा जाए, इसके बारे में परिवार के सदस्यों के लिए अनुदेश**

कृपया काली स्टाही से साफ-साफ प्रिंट करें और एक ही स्कूल में जाने वाले एक ही परिवार के सभी बच्चों के लिए एक ही आवेदनपत्र भरें तथा प्रत्येक पोष्य बच्चे के लिए अलग से आवेदन भरें।

**भाग 1 :** पोष्य बच्चा: एक पोष्य बच्चा सामाजिक सेवा एजेंसी या न्यायालय की कानूनी जिम्मेदारी होता है और वह भोजन प्राप्त करता है, भले ही आपकी पारिवारिक आय कुछ भी हो। **केवल भाग 1, 2 और 5 भरें!**

आय : बच्चे की निजी उपयोग आय लिखें। यदि बच्चे की कोई निजी उपयोग आय नहीं है तो "0" लिखें। निजी उपयोग आय (क) सामाजिक सेवा द्वारा बच्चे के निजी उपयोग जैसे कपड़ों, स्कूल की फीस और भत्ते के लिए श्रेणी का चयन कर दी गई धनराशि, और (ख) बच्चे द्वारा प्राप्त अन्य समस्त धनराशि, जैसे उसके परिवार और पूर्णकालिक या नियमित अर्धकालिक नौकरी से प्राप्त धनराशि। निम्नलिखित बच्चों का प्रयोग करते हुए लिखें कि यह धनराशि कितने अंतराल पर प्राप्त होती है : **(W) = साप्ताहिक, (E) = प्रत्येक दो सप्ताह में, (M) = मासिक, (T) = माह में दो बार या (Y) = वार्षिक।**

हस्ताक्षर : पोष्य बच्चे के लिए एकमात्र अन्य आवश्यकता यह है कि एक वयस्क पारिवारिक सदस्य को **भाग 5** पर अव्यय हस्ताक्षर करने चाहिए। आपको सामाजिक सुरक्षा संख्या देने की जरूरत नहीं है।  
**भाग 2 :** एक ही स्कूल में जाने वाले एक ही परिवार के सभी बच्चों की सूची। दिए गए बॉक्स में प्रत्येक बच्चे की जन्म तिथि, पहला नाम, मध्य आद्याक्षर, अंतिम नाम, लिंग और ग्रेड लिखें। यदि आप अपने बच्चे की नौ-अंकों वाली स्कूल पहचान संख्या जानते हैं तो उसे **OSIS** के अंतर्गत बॉक्स में लिखें। आपका बच्चा (बच्चे) जिस स्कूल में जाते हैं उसका नाम और/या संख्या लिखें तथा उस नगर का उल्लेख करें जहाँ स्कूल स्थित है। **भाग 3 पर जाएं!** पोष्य बच्चे के लिए **भाग 5** पर जाएं।

**भाग 3 :** फूड स्टैप या जरूरतमंद परिवारों को अस्थायी सहायता (TANF) प्राप्त करने वाले परिवार : इस खण्ड को भरें और **भाग 5** पर जाएं तथा आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करें या स्थायी और अप्रत्याशित कार्यालय या भारतीय पत्रों पर खाद्य वितरण कार्यक्रम (FDPIR) के प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। अलग मामला संख्या या बिना मामला संख्या वाले बच्चों के लिए अलग-अलग आवेदनपत्र भरा जाना चाहिए।

1. मामला संख्या : अपने लाभ पत्र पर दिए गए अपने फूड स्टैप या TANF/ FDPIR मामला संख्या लिखें, प्राप्त आय न लिखें।
2. हस्ताक्षर : वयस्क को **भाग 5** में दिए गए आवेदनपत्र पर अव्यय हस्ताक्षर करने चाहिए।

**भाग 4 :** अन्य सभी परिवार : यदि आपने पोष्य बच्चे का खण्ड नहीं भरा था, फूड स्टैप या TANF/FDPIR संख्या नहीं दी थी , या प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था तो कृपया **भाग 2, 4 और 5** अव्यय भरें।

1. परिवार के नाम : अपने परिवार में प्रत्येक का नाम लिखें चाहे उसकी कोई आय है अथवा नहीं। अपने परिवार में स्वयं को, **भाग 2** में नहीं दर्शाए गए सभी बच्चे, अपनी पत्नी/पति, दादा-दादी, और अपने परिवार से संबंध रखने और न रखने वाले लोगों को शामिल करें। यदि आपको और जगह की जरूरत है तो अलग कागज का प्रयोग करें।
2. वर्तमान आय : परिवार के प्रत्येक सदस्य की **कर या अन्य कटौतियों से पूर्व** प्राप्त वर्तमान आय को बॉक्स में उनके नाम के सामने लिखें, और बताएं कि इनका स्रोत क्या है जैसे उपाजर्ज, पेंशन और अन्य आय। निम्नलिखित बच्चों का प्रयोग करते हुए लिखें कि यह धनराशि कितने अंतराल पर प्राप्त होती है : **(W) = साप्ताहिक, (E) = प्रत्येक दो सप्ताह में, (M) = मासिक, (T) = माह में दो बार या (Y) = वार्षिक**
3. बहिष्कृत आय : पिपु देखभाल विकास (ब्लॉक अनुदान) निधि के अंतर्गत किसी देखभाल के महत्व या ऐसी देखभाल के लिए भुगतान के रूप में प्राप्त कोई राशि, या ऐसी देखभाल के लिए खर्च की गई लागत की प्रतिपूर्ति को इस कार्यक्रम में आय नहीं माना जाएगा। रियायती दर पर भोजन की पात्रता के लिए आय दिशा-निर्देश चार्ट हेतु आवेदनपत्र के दूसरी ओर देखें।

**भाग 5 : हस्ताक्षर और सामाजिक सुरक्षा संख्या :**

1. परिवार के एक वयस्क सदस्य को आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर अव्यय करने चाहिए या अन्यथा यह आवेदनपत्र अनुमोदित नहीं किया जा सकेगा।
2. सामाजिक सुरक्षा संख्या : यदि **भाग 4** भर दिया गया है, तो आपको **भाग 5** में हस्ताक्षर करने वाले वयस्क की सामाजिक सुरक्षा संख्या को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि आपकी कोई सामाजिक सुरक्षा संख्या नहीं है तो "NONE". शब्द लिखें।

**भाग 6 :** स्वास्थ्य बीमा : आपका बच्चा मुफ्त या रियायती दर पर स्वास्थ्य बीमा के लिए पात्र हो सकता है। कृपया इस फार्म के इस खण्ड को अपने बच्चे को यह सुविधा दिलाने या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भरें। आपको अपना नाम तथा आपसे किस समय संपर्क किया जा सकता है, देना होगा। **इस खण्ड को न हटाएं!**

**गोपनीय अधिनियम सूचना**

राष्ट्रीय स्कूल लंच अधिनियम [National School Lunch Act] के खण्ड 9 में यह प्रावधान है कि जब तक आपके बच्चे को फूड स्टैप या TANF/FDPIR मामला संख्या उपलब्ध नहीं करा दी जाती या बच्चा पोष्य बच्चा है, तो आपको आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले परिवार के वयस्क सदस्य की सामाजिक सुरक्षा संख्या लिखनी होगी या यह दर्शाना होगा कि परिवार के सदस्य की सामाजिक सुरक्षा संख्या नहीं है। यदि सामाजिक सुरक्षा संख्या नहीं दी गई है और शब्द "NONE" नहीं लिखा जाता है तो आवेदन को मंजूरी नहीं दी जा सकती। सामाजिक सुरक्षा संख्या का प्रयोग परिवार के सदस्य का पता लगाने के लिए किया जा सकता है ताकि आवेदनपत्र में दी गई सूचना का सही सत्यापन किया जा सके। इन सत्यापन प्रयासों को कार्यक्रम समीक्षा, लेखा-परीक्षा और जांच के जरिए जारी रखा जा सकता है तथा इसमें प्राप्त लाभ की राशि का पता लगाने के लिए राज्य रोजगार सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करना तथा परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की प्राप्त आय की राशि की जांच करना शामिल है। इन प्रयासों से लाभ या प्रशासनिक दावे समाप्त करना अथवा उसमें कमी करना, या कानूनी कार्रवाई करना यदि गलत सूचना दी गई हो, शामिल हो सकता है।